हिन्दी का प्रामाणिक कोष एवं व्याकरण

१५२७. **श्री मानकभाई अग्रवाल** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ ११० पर लिखे अनुसार क्या हिन्दी का प्रामाणिक कोष एवं व्याकरण तैयार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे प्रकाशित हो चुके है; और

(ग) यदि नहीं, तो वे कब तक तैयार और प्रकाशित होंगे ?

शिक्षा और गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) से (ग). अभी तक व्याकरण का अंग्रेजी संस्करण ही तैयार हुआ है। अब यह छप रहा है और अप्रैल १९५८ के अन्त तक इस की प्रतियां उपलब्ध होने की आशा है। इस का हिन्दी संस्करण अगले ४–५ महीने में तैयार होने की सम्भावना है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि हिन्दी व्याकरण की छपी हुई प्रतियां कब तक उपलब्ध हो सकेंगी।

मानक अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश, जिसे हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी इलाहाबाद, तैयार कर रही है, तीन खण्डों में प्रकाशित होगा। A से F तक के अक्षरों के पहले खण्ड की प्रेस कापी तैयार की जा रही है। बाकी काम भी प्रगति पर है G से L तक के अक्षरों की पाण्डुलिपि समन्वय समिति ने जांच ली है। यह समिति सरकारी सहायता से किये जाने वाले कोश निर्माण-कार्य के संदर्शन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिये नियुक्त की गयी है। और अब उस समिति के सुझावों के प्रकाश में अन्तिम रूप दिया जा रहा है। आशा की जाती है कि शब्दकोश के खण्ड II और III के तैयार करने तथा प्रकाशन का कार्य १९५९ के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Statement *re* Fall in Foreign Exchange Reserves

12. hrs.

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Finance (Shri Jawaharlal Nehru): I beg to lay on the Table a copy of the statement regarding the fall in foreign exchange reserves last year. [Placed in Library. *See* No. LT-607/58]

I mentioned this matter two days ago when I was speaking. This report was originally prepared by the Planning Commission in October last year. It has been somewhat revised now so as to bring it up to date.

May I mention that copies of this statement have been placed in the Library, and a fairly considerable number of copies are being placed in the Publications Counter for any hon. Member who chooses to take it.

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): It may be circulated to everybody.

Mr. Speaker: Every hon. Member who wants it will have it, without exception.

Shri Ranga (Tenali): What is it, Sir?

Mr. Speaker: Next item.

Amendment to Central Excise Rules

The Deputy Minister of Finance (Shri B. R. Bhagat): I beg to lay on the Table, under Section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944, a copy of Notification No. G.S.R. 87, dated the 1st March, 1958, making certain further amendment to the Central Excise Rules, 1944. [Placed in Library. *See* No. LT-608/58]

Navy (Judicial Review) Regulations

The Deputy Minister of Defence (Shri Raghuramaiah): I beg to lay on the Table, under Section 185 of the Navy Act, 1957, a copy of the Navy (Judicial Review) Regulations, 1958, published in Notification No. S.R.O. 108, dated the 1st March, 1958. [Placed in Library. *See* No. LT-609/58].